न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 757/2022

अनवान : –

1. सुशील कुमार शर्मा पुत्र नोरंगलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवास गुडिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम्

1. सन्तोष देवी पत्नी नोरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. मन्जू लता पुत्री नोरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी गुड़िया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 10/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 80/75 के कुल खसरे 17 की 3.7950 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही 15 जेएसएन–ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 43/43 के कुल खसरे 19 की 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 15 जेएसएन–बी के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 62/60 के कुल खसरे 12 की 3.0360हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि मृतक नोरंग उर्फ नोरंगलाल पुत्र मोमन उर्फ मोमनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोरंग उर्फ नोरंगलाल पुत्र मोमन उर्फ मोमनराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है। नोरंग उर्फ नोरंगलाल पुत्र मोमन उर्फ मोमनराम का स्वर्गवास हो चुका है। नोरंग उर्फ नोरंगलाल पुत्र मोमन उर्फ मोमनराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 है जो प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के कानूनी अधिकारी है। उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक दादालाई भूमि है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 1 वादी की माता है तथा प्रतिवादीया स0 2 वादी की बहिन है प्रतिवादी स0 1 ता 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:15 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की नोरंग उर्फ नोरंगलाल पुत्र मोमन उर्फ मोमनराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी अपने हक हिस्सा की भूमि के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकार है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 3 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी सबूत नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 रोही मौजा 14 जेएसएन खाता स0 80/75 ईएक्सपी–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 रोही मौजा 15 जेएसएन–ए खाता स0 43/43 ईएक्सपी–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 रोही मौजा 15 जेएसएन–बी खाता स0 62/60 ईएक्सपी–3, वारिस तस्दीक पत्र ईएक्सपी–4, वारीसान शपथ पत्र ईएक्सपी–5, मृत्यु प्रमाण पत्र नोरंगलाल ईएक्सपी–6 तथा ग्राम पंचायत गुडिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र बाबत् मृतक रामकुमार पुत्र नौरंगलाल वारिसान आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 1 वादी की माता है तथा प्रतिवादीया स0 2 वादी की बहिन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण 1 ता 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:15 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस को [illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 80/75 के कुल खसरे 17 की 3.7950 हैक्ट भूमि में से 2/5 हिस्सा व रोही 15 जेएसएन–ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के

खाता स0 43/43 के कुल खसरे 19 की 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 15 जेएसएन–बी के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 62/60 के कुल खसरे 12 की 3.0360हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि मृतक नोरंग उर्फ नोरंगलाल पुत्र मोमन उर्फ मोमनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, वारिसनामा प्रमाण पत्र पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा नोरंग उर्फ नोरंगराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 ता 2 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का एतराज नही होने व वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 80/75 के कुल खसरे 17 की 3.7950 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही 15 जेएसएन–ए तहसील नोहर के खाता स0 43/43 के कुल खसरे 19 की 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 15 जेएसएन–बी के खाता स0 62/60 के कुल खसरे 12 की 3.0360हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि मृतक नोरंग उर्फ नोरंगलाल पुत्र मोमन उर्फ मोमनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में नोरंग उर्फ नोरंगलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुशील कुमार शर्मा को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:15 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 757/2022

अनवान : –

1. सुशील कुमार शर्मा पुत्र नोरंगलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवास गुडिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम्

1. सन्तोष देवी पत्नी नोरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. मन्जू लता पुत्री नोरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी गुड़िया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के खाता स0 80/75 के कुल खसरे 17 की 3.7950 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही 15 जेएसएन–ए तहसील नोहर के जमाबंद्री सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 43/43 के कुल खसरे 19 की 4.0480 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा 15 जेएसएन–बी के जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता स0 62/60 के कुल खसरे 12 की 3.0360हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि मृतक नोरंग उर्फ नोरंगलाल पुत्र मोमन उर्फ मोमनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में नोरंग उर्फ नोरंगलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुशील कुमार शर्मा को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

पंर्चा डिक्री आज दिनांक 1.01.24.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:15 IST
Reason: SelfAttested